Yogoda Satsanga Mahavidyalaya

B. Com Semester – VI (C-13) CBCS

Subject: Auditing & Corporate Governance

Topic: **कंपनी लेखा परीक्षकों की योग्यताएँ एवं अयोग्यताएँ**

Ravindra Kumar, Associate Professor Department of Commerce

कंपनी के लेखा परीक्षक किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेखा परीक्षकों के लिए योग्यताएं और अयोग्यताएं आमतौर पर नियामक निकायों और पेशेवर संगठनों द्वारा परिभाषित की जाती हैं। एक अवलोकन:

कंपनी लेखा परीक्षकों की योग्यताएँ:

1. शैक्षिक योग्यता:

- लेखांकन/वित्त में डिग्री:

अधिकांश लेखा परीक्षकों के पास लेखांकन, वित्त या संबंधित क्षेत्र में डिग्री होती है।

- व्यावसायिक प्रमाणपत्र:

लेखापरीक्षकों के पास अक्सर पेशेवर प्रमाणपत्र होते हैं जैसे:

- चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए)
- प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार (सीपीए)
- प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक (सीआईए)
- प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक (सीआईएसए)

2. अनुभव:

- कार्य अनुभव:

ऑडिटिंग या संबंधित क्षेत्र में कई वर्षों के कार्य अनुभव की आमतौर पर आवश्यकता होती है।

- उद्योग-विशिष्ट अनुभव:

ऑडिट की जा रही कंपनी के विशिष्ट उद्योग में अनुभव एक फायदा हो सकता है।

3. व्यावसायिक निकायों में सदस्यता:

- कई लेखा परीक्षकों को पेशेवर लेखा निकायों का सदस्य होना आवश्यक है जैसे:
  - चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (उदाहरण के लिए, भारत में ICAI, यूके में ICAEW)

- अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सीपीए (एआईसीपीए)

- आंतरिक लेखा परीक्षक संस्थान (आईआईए)

4. सतत व्यावसायिक शिक्षा (सीपीई):

- लेखा मानकों, कानूनों और विनियमों के साथ अद्यतन रहने के लिए लेखा परीक्षकों को चल रही व्यावसायिक शिक्षा में संलग्न होना चाहिए।

5. तकनीकी कौशल:

- अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और टूल्स में दक्षता।

- वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे (जैसे, IFRS, GAAP) की समझ।

6. सॉफ्ट स्किल्स:

- मजबूत विश्लेषणात्मक और समस्या सुलझाने के कौशल।

- विस्तार पर ध्यान।

- अच्छा संचार और पारस्परिक कौशल।

- ईमानदारी और नैतिक निर्णय.

कंपनी लेखा परीक्षकों की अयोग्यताएँ:

1. हितों का टकराव:

- वित्तीय हित:

ऑडिटर का ऑडिट की जा रही कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय हित नहीं हो सकता है।

- व्यावसायिक संबंध:

लेखा परीक्षकों को कंपनी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रखना चाहिए जिससे उनकी स्वतंत्रता ख़राब हो सकती है।

2. रोजगार प्रतिबंध:

- कोई व्यक्ति जो ऑडिट से पहले एक निश्चित अवधि (उदाहरण के लिए, दो वर्ष) के भीतर कंपनी का कर्मचारी या अधिकारी रहा हो, ऑडिटर के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

3. स्वतंत्रता:

- लेखापरीक्षकों को उस कंपनी से स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए जिसका वे लेखापरीक्षण कर रहे हैं। इसमें तथ्य और दिखावे में स्वतंत्रता शामिल है।

4. कानूनी अयोग्यताएँ:

- आपराधिक रिकॉर्ड:

धोखाधड़ी या संबंधित अपराधों के दोषी व्यक्ति को लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने से अयोग्य ठहराया जा सकता है।

- व्यावसायिक कदाचार:

नियामक संस्था द्वारा पेशेवर कदाचार का दोषी पाए गए ऑडिटर को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

5. नियामक प्रतिबंध:

- कुछ न्यायक्षेत्रों में नियामक निकायों द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रतिबंध और आवश्यकताएं हैं जो लेखा परीक्षकों को अयोग्य घोषित कर सकती हैं, जैसे अनिवार्य रोटेशन नीतियों का पालन न करना।

6. व्यक्तिगत संबंध:

- कंपनी के निदेशकों या प्रमुख कर्मचारियों के साथ करीबी व्यक्तिगत रिश्ते भी एक ऑडिटर को अयोग्य ठहरा सकते हैं।

7. अक्षमता:

- पिछले ऑडिट में प्रदर्शित योग्यता की कमी या उचित देखभाल के कारण अयोग्यता हो सकती है।

ये योग्यताएं और अयोग्यताएं सुनिश्चित करती हैं कि ऑडिटर सक्षम, स्वतंत्र और संपूर्ण और निष्पक्ष ऑडिट करने में सक्षम हैं। अमेरिका में सर्बनेस-ऑक्सले अधिनियम जैसे नियामक ढांचे और दुनिया भर में इसी तरह के नियम, ऑडिटिंग प्रक्रिया की अखंडता की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।

Ravindra Kumar
Associate Professor
Department of Commerce